न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 280/2016 निर्णय दिनांक :–28.0619

उनवानी दावा :

1.महेन्द्र पुत्र स्व. बन्ना जाति मीणा उम्र बालिग निवासी कुशालपुरा तहसील–देवली, जिला–टोंक

2.आशा कुमारी पुत्री स्व. बन्ना जाति मीणा उम्र बालिग निवासी कुशालपुरा तहसील–देवली, जिला–टोंक

3.रूकमा पत्नी स्व. बन्ना जाति मीणा उम्र बालिग निवासी कुशालपुरा तहसील–देवली, जिला–टोंक

– अपीलान्ट –

बनाम

1.सरपंच ग्राम पंचायत गांवडी तहसील–देवली जिला–टोंक

2.तहसीलदार जी देवली, जिला टोंक राज0

– रेस्पोडेन्ट –

उपस्थिति :–

श्री छीतर सिंह नाथावत
अधिवक्ता अपीलान्ट

श्री बी.एल.मीणा
अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 448
दिनाक 20.06.2012
ग्राम पंचायत गांवडी जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या
448 अपीलान्ट के पक्ष में तस्दीक किया गया

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि नामान्तकरण संख्या 448 दिनांक 20.06.2012 रेस्पोडेन्ट नं0 1 ग्राम पंचायत गांवडी द्वारा बालू पुत्र गीला जाति मीणा की फोती नामान्तकरण तस्दीक किया गया जो प्रार्थी के पिता दादा बालू पुत्र गीला की फोती नामान्तकरण खोले जाते समय बालू पिता गीला के वारिसान के स्थान पर अपीलान्ट के नाम नामान्तकरण खोल दिया गया। जबकि अपीलान्ट के पिता पति का नाम बालू नहीं होकर बन्ना था जो भी फौत हो चुका है। मृतक बालू के सही वारिसान की मालूम किये बिना, बिना जांच किये, सही वारिसान की सुनवाई किये बिना तस्दीक किया गया इसलिए उक्त नामान्तकरण अवैध, अवैधानिक तथा मृतक बालू के सही वारिसान अपीलान्ट का सही मालूम अर्थात मृतक बालू के वारिसान की जांच किये बिना भरा गया जो

खारिज किये जाने योग्य है। बालू पुत्र गीला अपीलान्ट का पिता व पति नहीं है, जबकि बालू पुत्र गीला तो अपीलान्ट का दादा व ससुर है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। अपीलान्ट के पिता व पति का नाम बन्ना पुत्र बालू था जिसकी भी मृत्यु हो चुकी है। नामान्तकरण संख्या 448 गलत तरीके से खोला गया है, जो गलत है, खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट के दादा व ससुर स्व. बालू पुत्र गीला मीणा की खातेदारी व कब्जे–काश्त की भूमि हाल ख0नं0 1018 रकबा 1.15 है0 व ख0नं0 1019 रकबा 0.76 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.91 है0 तनग्राम ककोडिया पटवार हल्का ककोडिया तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। जो उक्त नामान्तकरण के कारण अपीलान्ट के नाम लगी है। अपीलान्ट के दादा व ससुर स्व. बालू पुत्र गीला मीणा की मृत्यु होने पर नामान्तकरण संख्या 448 दिनांक 20.06.2012 को गलत तरीके से, सही वारिसान की जांच किये बिना अपीलान्ट के पक्ष में रेस्पोडेन्ट नं0 1 के द्वारा नामान्तकरण तस्दीक किया गया है, जो गलत तस्दीक किया गया था। जबकि उक्त नामान्तकरण संख्या 448 बालू के विधिक वारिसान के नामान्तकरण तस्दीक किया जाना चाहिए था। जो गलत है एवं खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट को उक्त ख0नं0 1018 रकबा 1.15 है0 व ख0नं0 1019 रकबा 0.76 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.91 है0 तनग्राम ककोडिया पर कृषि कार्य के लिए लोन लेने के लिए पटवारी हल्का के पास नकल जमाबंदी निकलवाने के लिए गये तो हल्का पटवारी ने अपीलान्ट को बताया कि उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट के पति व पिता का नाम दर्ज नहीं है। इस पर अपीलान्ट को प्रथम बार उक्त भूमि अपने नाम नहीं होने के बारे में जानकारी हुई। तत्पश्चात् अपीलान्ट ने फौती नामान्तकरण संख्या 448 दिनाक 20.06.2012 की नकल प्राप्त करने के लिए नकल प्रार्थना पत्र दिनांक 10.06.2016 को दिया जो दिनांक 14.06.2016 को प्राप्त हुआ है, अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरण की जानकारी होते ही अपील प्रस्तुत की जा रही है। फिर भी अपील करने में देरी हुई वह जानबूझकर नही हुई है। क्योंकि अपीलान्ट बाहर निवास करते है। अपीलान्ट अपने परिवार की जिम्मेदारी निर्वहन करने जैसी परिस्थितियावश हुई है, जो क्षमा किये जाने योग्य है। फिर भी यदि कोई विलंब माना जावे तो उसे कण्डोन करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जारी की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या की ओर से अधिवक्ता श्री बाबू लाल भीणा ने वकालतनामा पेश किया परन्तु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं किये जाने से प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब बन्द किया जाकर पत्रावली साक्ष्य अपीलान्ट में नियत की गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने शपथ पत्र साक्ष्य गवाह 1 ता 7 पेश किये जिसमें साक्ष्य गवाह 1 ता 7 ने पेश की गई अपील को स्वीकार किया और अपने शपथ पत्रो में बताया कि अपीलान्ट के दादा व ससुर स्व. बालू पुत्र गीला मीणा की मृत्यु होने पर नामान्तकरण संख्या 448 दिनांक 20.06.

2012 को गलत तरीके से, सही वारिसान की जांच किये बिना अपीलान्ट के पक्ष में रेस्पोडेन्ट नं0 1 के द्वारा नामान्तकरण तस्दीक किया गया है, जो गलत तस्दीक किया गया था। जबकि उक्त नामान्तकरण संख्या 448 बालू के विधिक वारिसान के नामान्तकरण तस्दीक किया जाना चाहिए था। जो गलत है एवं खारिज किये जाने योग्य है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी साक्ष्य रेस्पोडेन्ट पेश नहीं किये जाने से साक्ष्य रेस्पोडेन्ट बन्द की जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट श्री छीतर सिंह नाथावत से बहस सुनी।

बहस में अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यो को दोहराया।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन व अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज नामान्तकरण रजिस्टर ग्रम ककोड़िया नामान्तकरण संख्या 448, जमाबन्दी संम्वत 2060–63 ग्राम ककोड़िया खाता संख्या 91 में बालू पुत्र गीला मीणा कुशालपुरा खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जमाबन्दी संम्वत 2072–75 ग्राम ककोड़िया खाता संख्या 132 में अपीलान्ट खातेदार के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अपीलान्ट द्वारा अपील में पेश किये गये सजरे अनुसार बालू पुत्र गीला के वारिसान अपीलान्ट नही है। उक्त बहस, दस्तावेजो व सजरे से यह तथ्य सामने आते है कि ग्राम पंचायत ककोड़िया द्वारा भरे गये नामान्तकरण की जांच की जाकर सही फौती नामान्तकरण तस्दीक करना आवश्यक है। अत ग्राम पंचायत ककोड़िया द्वारा द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तकरण संख्या 448 दिनांक 20.06.2012 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार देवली को यह नामान्तकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त फौती नामान्तकरण के विधिक वारिसान की जांच कर नामान्तकरण तस्दीक करे।

निर्णय दिनांक 28.06.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली